NT>

Title: Need to take stringent action against the Police personnel responsible for deaths in Police lock-up.

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाना आजकल आए दिन की बात हो गई है। अक्सर अखबारों में ऐसी खबरें आती रहती हैंकि पुलिस हिरासत में मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। यह एक बहुत गम्भीर चिंताजनक स्थिति है। एक ऐसा अपराधी जिस का अपराध प्रमाणित भी नहीं हुआ, जिस को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देकर कोई सजा नहीं सुनाई गई, ऐसे व्यक्ति की हिरासत में मृत्यु हो जाना पुलिस व्यवस्था के लिए एक कलंक की बात ही कही जाएगी क्योंकि पुलिस पर देश के नागरिकों की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी बनती है। ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं तथा पूरी पुलिस व्यवस्था को भी बदनाम करती हैं। इससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि ऐसे हादसों के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई न किया जाना, मामलों को दबाया जाना, कोई सजा न दिया जाना, केवल मुअत्तिल कर देना तथा बाद में उन्हें भी बहाल कर दिया जाना। ऐसी घटनाओं से जनता में पुलिस की विश्वसलीयता तथा सम्मान कम होती है। पुलिस अधिकारियों को बचाने के स्थान पर ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए तभी पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ेगा तथा ऐसे गम्भीर हादसों पर रोक लगेगी। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।